न्यायालय सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुलपहाड महोबा।

उपस्थित :– कमल दीप (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

मुकदमा सं0– 448/2014

सरकार बनाम छत्तू आदि

मु0अ0सं0–366/2014

धारा–323,504,506 भा0दं0सं0

थाना– कुलपहाड़, जनपद–महोबा।

निर्णय

अभियुक्तगण छत्तू, बद्री व ज्ञानी के विरूद्ध थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा द्वारा मु0अ0सं0–366/14 अंतर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20.01.2014 को समय करीब 07.00 बजे शाम की है मेरा भतीजा पुष्पेन्द्र दरवाजे पर खड़ा था कि उसी समय गांव के ही छत्तू, बद्री व ज्ञानी पुत्रगण दीना लोधी धारदार हथियार फरसा, कुल्हाड़ी लेकर आये और मेरे भतीजे को गाली देकर मारने को दौड़े तो मेरा भतीजा घर के अन्दर घुस गया। मेरे घर में औरत मेरी पत्नी व बहू अकेली थी। उक्त लोग भी मेरे घर के अन्दर घुस आये और मेरी औरत और बहू के साथ अभद्रता करने लगे तथा पुष्पेन्द्र को मारा पीटा तथा मेरी औरत का मंगलसूत्र तथा बहू के गले से जंजीर छीनकर ले गये तथा घर के अन्दर रखे बक्से से पायल तथा दस हजार रूपये लूट कर ले गये तब मेरा भाई सुन्दर लाल आ गया। उसे भी बुरी तरह से धारदार हथियार से मारा पीटा जिससे उसके शरीर पर काफी चोटे आयी। मै ड्यूटी से वापिस घर आ रहा था तो मुझे रास्ते में छेंककर मारा पीटा तथा जेब से पांच हजार रूपये भी छीन लिये। अतः रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवही की याचना की गयी है।

इस घटना की प्रार्थना पत्र धारा 156(3) सी0आर0पी0सी0 मुकदमा वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0–376/15 धारा–323,504,506,354 भा0दं0सं0 के अंतर्गत विवेचना थाना कुलपहाड़ द्वारा की गयी। बाद विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्तगण को विचारण के लिये आहूत किया गया। अभियुक्तगण के न्यायालय आने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–27.04.2015

को धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने घटना से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन द्वारा साक्षी पी0डब्लू0–1 फूलसिंह वादी मुकदमा पी0डब्लू0–2 विन्दा को परीक्षित कराया तथा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया।

अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार किया गया।

मैने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया गया।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गवाह पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना आज से पौने दो साल पहले की है समय शाम 7 बजे की है मेरा भतीजा पुष्पेन्द्र दरवाजे पर बैठा था। उसी समय गांव के छत्तू, बद्री, ज्ञानी अपने हाथ में लिये हुये धारादार हथियार, फरसा, कुल्हाड़ी लेकर आये और मेरे भतीजे पुष्पेन्द्र को गाली गलौज करके मारने को दौड़े मेरा भतीजा घर के अन्दर घुस गया। मेरे घर की औरते पत्नी व बहू अकेले थी। मै ड्यूटी करने चला गया था। सभी अभियुक्तगण ने घर के अंदर घुस कर मेरे भतीजे पुष्पेन्द्र को मारने पीटने लगे और पत्नी व बहू के गले से जंजीर व मंगलसूत्र खीच लिया। घर के अन्दर रखे हुए बक्से से पायल चांदी की व 10000/–रू0 लूटकर ले जाने लगे तभी मेरा भाई सुन्दरलाल आ गया उसे भी धारदार हथियारों से मारा पीटा। जिससे उसे चोटे आयी। सरकारी अस्पताल कुलपहाड़ में डाक्टरी कराया। मै उसी समय ड्यूटी से घर आ रहा था तो रास्ते मं अभियुक्तगण उपरोक्त ने मुझे रास्ते में छेंककर मारा तथा मेरी जेब से 5000/–रू0 छीन लिया और गाली गलौज करते हुये हमारे घर की औरतों को लूटा है और भाई के साथ मारपीट करके आये है और यह भी धमकी दिया कि ड्यूटी नही करने देगें और जान से मार देगें। हम दोनो भाई थाने गये थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। घटना के सम्बन्ध में एस0पी0 साहब को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा था। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब न्यायालय में 156(3) सी0आर0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र दिया था। डाक्टरी कुलपहाड़

सरकारी अस्पताल में कराई थी। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में पूछतांछ की थी।

इस साक्षी ने जिरह में कहा है कि अभियुक्तगण छत्तू, बद्री व ज्ञानी मेरे गांव के हैं। अभियुक्तगण से मेरी मामूली बात को लेकर कहा सूनी हो रही थी। वाद विवाद बढ़ जाने के कारण भीड़ इकट्ठी हो गयी। भीड़ में भगदड़ होने के करण हम दोनो भाई पड़े ईंट पर दाहिने हाथों के बल गिर गये थे जिससे चोटे आ गयी थी। हाजिर अदालत अभिगणों को देखकर कहा कि इन लोगों ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की न ही चोटें पहुंचाई। गांव के लोगों व रिश्तेदारों के कहने पर लूट का झूठा मुकदमा लिखा दिया था। इन लोगों ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की न ही गाली गलौज की व न ही जान से मारने की धमकी दी। अब मैं मुकदमा नही लड़ना चाहता हूॅ।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गवाह पी0डब्लू0–2 विन्दा ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 07.01.2014 की है समय 7 बजे शाम का था। मेरे गांव के छत्तू, बद्री तथा ज्ञानी पुरानी रंजिश को लेकर गाली–गलौज करते आये और मेरे भतीजे पुष्पेन्द्र जो कि दरवाजे के पास चबूतरे पर बैठा था, मार–पीट करने लगे तथा मेरा भाई फूलसिंह रेलवे से नौकरी करके आया तो उनको भी लाठी–डण्डों से मारने पीटने लगे व मै भी बचाने को दौड़ा तो मुझे भी मारा पीटा जिससे मुझे चोटे आयी। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। थाने में मेरे भाई फूलसिंह ने रिपोर्ट लिखाई थी। दरोगा जी ने बयान लिया था।

इस साक्षी ने जिरह में कहा है कि अभियुक्तगण छत्तू, बद्री व ज्ञानी मेरे गांव के है मामूली बात को लेकर कहा सुनी हो ही थी वाद विवाद बढ़ जाने के कारण भीड़ काफी इक्ट्ठा हो गयी व भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण मै भी जमीन पर गिर गया जिससे मुझे चोटे आ गयी थी। अभियुक्तगण उपरोक्त ने मेरे साथ न कोई गाली–गलौज व न मारपीट की तथा न ही जान से मारने की धमकी दी। दरोगा जी ने मेरा बयान कैसे लिखा दिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूॅ।

राज्य की ओर से दिये गये तर्को एवं बचाव पक्ष की ओर से दिये गये तर्को के आलोक में न्यायालय का यह मत है कि गवाह पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा ने घटना का समर्थन मुख्यपरीक्षा में किया है परन्तु जिरह में कहा है कि गांव के लोगों व रिश्तेदारों के कहने पर लूट

का झूठा मुकदमा लिखा दिया था। अभियुक्तगणों ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की न ही गाली गलौज की व न ही जान से मारने की धमकी दी। अब मैं मुकदमा नही लड़ना चाहता हूँ। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण छत्तू, बद्री व ज्ञानी पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 सभी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण छत्तू, बद्री व ज्ञानी को अंतर्गत धारा–323,504,506 भा0दं0सं0 थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण का व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा उनके प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

<u>दिनांकः 20.10.2016</u>

{कमल दीप}
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजि0,कुलपहाड़ महोबा।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

<u>दिनांकः 20.10.2016</u>

{कमल दीप}
सिविल जज (जू0डि0)/
न्यायिक मजि0,कुलपहाड़ महोबा।